



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2181]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2018/ज्येष्ठ 23, 1940

No. 2181]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2018/JYAISTHA 23, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2018

का.आ. 2412(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्वारा सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों से युक्त एक समिति का गठन करती है नामशः

1.	विशेष सचिव/अपर सचिव, पशु कल्याण प्रभारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (पशु कल्याण), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3.	भारत के औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई), नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई), नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	भारतीय भेषज परिषद (पीसीआई), नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई), बल्लभगढ़ के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	डॉ. सुरेश पोथानी, आईसीएमआर के प्रतिनिधि, प्रभारी निदेशक और वैज्ञानिक 'जी', आईसीएमआर- राष्ट्रीय पशु संसाधन जैव-चिकित्सा अनुसंधान सुविधा, हैदराबाद	सदस्य

10.	प्रोफेसर अस्मिता गजभिये, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, भेषज विज्ञान विभाग, डॉ. एच.एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	सदस्य
11.	प्रोफेसर आलोक धवन, निदेशक, सीएसआईआर- भारतीय विष-विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	सदस्य
12.	डॉ. अनुराग अग्रवाल, निदेशक, सीएसआईआर- इंस्टिट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एण्ड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, नई दिल्ली	सदस्य
13.	डॉ. राम विश्वकर्मा, निदेशक, सीएसआईआर- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जम्मू	सदस्य
14.	डॉ. प्रदीप कुमार यादव, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
15.	डॉ. एस.जी. रामाचन्द्रा, मुख्य अनुसंधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय पशु सुविधा, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु	सदस्य
16.	डॉ. सुबीर एस. मजुमदार, निदेशक, राष्ट्रीय पशु जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	सदस्य
17.	प्रोफेसर डॉ. एम. रामाचन्द्रा मोहन, प्रोफेसर, प्राणि-विज्ञान विभाग, बंगलुरु विश्वविद्यालय	सदस्य
18.	प्रोफेसर मदन मोहन चतुर्वेदी, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, प्राणि-विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
19.	प्रोफेसर आदित्य कुमार, निदेशक, एस्केएस संस्थान, मथुरा	सदस्य
20.	निदेशक/उप सचिव (पशु कल्याण) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

2. समिति का कार्यकाल, यदि पहले भंग न हो तो, इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3. राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ.503(अ), दिनांक 17.02.2016 के द्वारा पूर्व में गठित समिति, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भंग मानी जाए।

[फा. सं. 25/35/2017-सीपीसीएसईए]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : पशुओं पर परीक्षण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन से समिति के गठन से संबंधित पूर्ववर्ती अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 32(अ), दिनांक 10.01.2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तदन्तर इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 599(अ), दिनांक 26.05.2003, अधिसूचना सं. का.आ. 955(अ), दिनांक 21.08.2003, अधिसूचना सं. का.आ. 69(अ), दिनांक 15.01.2004, अधिसूचना सं. का.आ. 85(अ), दिनांक 25.01.2005, अधिसूचना सं. का.आ. 1491(अ), दिनांक 17.10.2005 और अधिसूचना सं. का.आ. 933(अ), दिनांक 21.06.2006 के द्वारा संशोधन किया गया था। समिति का पुनःगठन किया गया था और इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 1817(अ), दिनांक 19.10.2006 के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 1328(अ), दिनांक 07.06.2010, तथा अधिसूचना सं. का.आ. 2778(अ),

दिनांक 10.11.2010 के द्वारा संशोधन किया गया था। समिति का इसके बाद भी पुनःगठन किया गया था और इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 2041(अ), दिनांक 30.08.2012 के द्वारा प्रकाशित की गई थी। समिति का पुनःगठन किया गया था और इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 3506(अ), दिनांक 23.12.2015 के द्वारा पुनः प्रकाशित की गई थी। भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 3506(अ), दिनांक 23.12.2015 के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अधिक्रमण में समिति के पुनर्गठन में संशोधन किया गया था और इसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 503(अ), दिनांक 17.02.2016 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2018

S.O. 2412(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 (1) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, hereby constitutes a Committee consisting of the following persons as its Members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

1.	Special Secretary / Additional Secretary, In-charge of Animal Welfare, Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi	Chairman
2.	Joint Secretary (Animal Welfare), Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi	Vice Chairman
3.	Representative from Drug Controller General of India (DCGI), New Delhi	Member
4.	Representative from Medical Council of India (MCI), New Delhi	Member
5.	Representative from Veterinary Council of India (VCI), New Delhi	Member
6.	Representative from Pharmacy Council of India (PCI), New Delhi	Member
7.	Representative from University Grants Commission (UGC), New Delhi	Member
8.	Representative from Animal Welfare Board of India (AWBI), Ballabgarh	Member
9.	Dr. Suresh Pothani, Representative ICMR, Director In Charge & Scientist "G" ICMR – National Animal Resource Facility for Biomedical Research, Hyderabad	Member
10.	Prof. Asmita Gajbhiye, Professor & Head, Deptt of Pharmaceutical Sciences, Dr. H.S. Gour Vishwavidyalaya, Sagar	Member
11.	Prof. Alok Dhawan, Director, CSIR – Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow	Member
12.	Dr. Anurag Agrawal, Director, CSIR – Institute of Genomics & Integrative Biology, New Delhi	Member
13.	Dr. Ram Vishwakarma, Director, CSIR – Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu	Member
14.	Dr. Pardeep Kumar Yadav, Senior Veterinary Officer, All India Institute of Medical Science, New Delhi	Member
15.	Dr. S.G. Ramachandra, Chief Research Scientist,	Member

	Central Animal Facility, Indian Institute of Science, Bangalore	
16.	Dr. Subeer S. Majumdar, Director, National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad	Member
17.	Prof. Dr. M. Ramachandra Mohan, Professor, Deptt of Zoology, Bangalore University	Member
18.	Prof. Madan Mohan Chaturvedi, Professor and Head, Department of Zoology, University of Delhi, New Delhi	Member
19.	Prof. Aditya Kumar, Director, SKS Institute, Mathura	Member
20.	Director/Deputy Secretary (Animal Welfare) Ministry of Environment, Forests & Climate Change, New Delhi.	Member Secretary

2. The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be three years from the date of its constitution.

3. The Committee constituted earlier vide Gazette Notification No. S.O.503(E) dated 17.02.2016 stands dissolved from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 25/35/2017-CPCSEA]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

Note : The earlier notification constituting the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals was published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.32 (E) dated 10th January, 2003 and was subsequently amended vide Notification Numbers. S.O. 599(E) dated 26.05.2003, S.O.955(E) dated 21.08.2003, S.O.69(E) dated 15.01.2004, S.O.85(E) dated 25.01.2005, S.O.1491(E) dated 17.10.2005 and S.O.933(E) dated 21.06.2006. The Committee was again constituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.1817(E) dated 19.10.2006 and amended vide notification numbers S.O.1328(E) dated 07.06.2010 and S.O.2778(E) dated 10.11.2010. The Committee was further re-constituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.2041(E) dated 30.08.2012. The Committee was re-constituted and published again in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.3506 (E) dated 23.12.2015. In supersession to the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.3506 (E) dated 23.12.2015, the constitution of the Committee was amended and published in the Gazette of India, Extraordinary vide No. S.O.503(E) dated 17.02.2016.